

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)गुजरात
ऑडिट भवन, नवरंगपुरा,अहमदाबाद शाखा
Office Of The Pr Accountant General (A&E) Gujarat, Branch
" Audit Bhavan" Navrangpura, Branch Ahmedabad- 380009

परिपत्र संख्या: WM-I/ 11 दिनांक:- 01.01.2025

1. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम संख्या 18 (1) के खंड (ii) में निहित प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, समूह 'ए' या 'बी' पद रखने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक वार्षिक रिटर्न जिसमें उसे विरासत में मिली या उसके स्वामित्व वाली या अर्जित की गई या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर रखी गई अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण दिया गया हो।
2. संभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 (31/12/2024 तक) के लिए अचल संपत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
3. "पिछले वर्ष के समान" या "कोई परिवर्तन नहीं" जैसे वाक्यांशों के साथ अचल संपत्ति रिटर्न पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. रिटर्न 31/01/2025 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए , ऐसा न करने पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Digitally signed by

Gopal Lal Meena

Date: 01-01-2025 16:00:14

वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए एवं ई)

प्रति,
संभागीय लेखाकार संवर्ग
गुजरात

प्रथम नियुक्ति होने तक प्राप्त अचल संपत्ति का विवरण।

अधिकारी का पूरा नाम:-

वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व अधिकारी जिस सेवा/विभाग से संबंधित हो, उसका नाम:-

वर्ष के लिए दिनांक

कि स्थिति

अचल संपत्ति जहां स्थित हो, उस जिला, उपविभाग, तालुका एवं गाँव का नाम	अचल संपत्ति का विवरण		वर्तमान मूल्यांकित (अ)	संपत्ति यदि उनके अपने नाम न होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, तो उस व्यक्ति के नाम एवं अधिकारी का उससे क्या संबंध है यह दर्शाए	संपत्ति खरीद की गई है, पैतृक संपत्ति है बंधक, पट्टे पर ली गई है या किसी अन्य प्रकार से ली है, इसकी जानकारी और जिस व्यक्ति से (ब) प्राप्त की गई हो उसका नाम आदि की जानकारी	संपत्ति से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय	अभ्युक्ति टिप्पणी
	मकान	जमीन					
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक :

हस्ताक्षर

लागू नहीं होते हों को निकाल दे:-

(v) यदि संपत्ति की यथार्थ कीमत निर्धारित नहीं की जा सके, तो वर्तमान समय में उसकी लगभग कीमत जो हो, उसे दर्शाएँ ।

(ब) इसमें कम समय के लिए पट्टे पर ली गई संपत्ति भी शामिल है।

केंद्रीय सिविल से (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) अनुसार, वर्ग 1 एवं 11 के सभी सदस्यों के लिए प्रथम सेवा नियुक्ति एवं उसके बाद प्रत्येक 12 महानों के अंतराल पर यह घोषणापत्र, अपनी मालिकी की /अर्जित/पैतृक/पट्टे पर ली गई/बंधक (गिरवी) संपत्ति, जो उसके अपने नाम पर, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, उसकी पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।